

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय का पता-कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, लालगढ़, बीकानेर
दूरभाष:-0151 2220140 ई-मेल:-ddrtebknr@gmail.COM

क्रमांक-शिविरा/प्रारं/न्यायालय प्रकरण/19656/रेपर-12/2022-23

दिनांक :- 06.04.2023

जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा (मुख्यालय),

(ई-मेल)

विषय :- आरटीई दिशा-निर्देश 2023-24 के संबंध में

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत गैर सरकारी विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2023-24 में निःशुल्क प्रवेश हेतु दिशानिर्देश जारी किये जा चुके हैं। उक्त दिशा-निर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुए प्रवेश तिथि को दिनांक 18.04.2023 तक बढ़ाया जाता है तथा उन बालकों को भी प्रवेश प्रक्रिया में शामिल किया जाता है जिनके द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 में पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं में निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन किया था परन्तु आदिनांक तक निःशुल्क शिक्षा से वंचित है एवं पुनः आवेदन करने के इच्छुक है।

संशोधित टाइम-फ्रेम निम्नानुसार है-

| क.सं. | विवरण / गतिविधि | टाइमफ्रेम | दायित्व निर्धारण |
|-------|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | विज्ञापन जारी करना | दिशा-निर्देश जारी होने के तत्काल बाद | निदेशालय व सम्बन्धित निजी विद्यालय |
| 2 | संबन्धित विद्यालय द्वारा विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करना | 28 मार्च 2023 तक | संबन्धित विद्यालय |
| 3 | अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना व दस्तावेज अपलोड करना। | 29 मार्च 2023 से 18 अप्रैल 2023 तक | संबन्धित अभिभावक |
| 4 | ऑनलाइन लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालको का वरीयता क्रम निर्धारण करना | 20 अप्रैल 2023 | राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा |
| 5 | अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना। (विद्यालय चयन क्रम को बदलना) | 20 अप्रैल 2023 से 01 मई 2023 तक | अभिभावको द्वारा |
| 6 | विद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों की जांच करना (प्रथम चयनित विद्यालय द्वारा) | 20 अप्रैल 2023 से 09 मई 2023 तक | गैर सरकारी विद्यालय |
| 7 | अभिभावक द्वारा दस्तावेजों में संशोधन करना। | 20 अप्रैल 2023 से 14 मई 2023 तक | अभिभावको द्वारा |
| 9 | विद्यालय द्वारा Request किये जाने(बालक द्वारा दस्तावेज रि-अपलोड नहीं करने पर)/अभिभावक द्वारा संशोधन किये जाने पर सीबीईओ द्वारा जांच करना। | 26 अप्रैल 2023 से 29 मई 2023 तक | सीबीईओ द्वारा |
| 10 | शेष समस्त आवेदन ऑटोवेरिफाई करना। | 31 मई 2023 | राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा |
| 11 | पोर्टल द्वारा उपलब्ध आरटीई सीट्स पर चयन करना | 02 जून 2023 को | राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा |
| 12 | पोर्टल द्वारा उपलब्ध आरटीई सीट्स पर चयन करना (सशुल्क बालकों के प्रवेश एवं बालक के वरीयता के आधार पर) | 03 जून 2023 से 15 सितम्बर 2023 तक | राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा |

शेष दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।

(अशोक कुमार मीणा)

RAS

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

RajKaj Ref No. : 3596950



प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, शासन सचिवालय राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, शिक्षा संकुल, जयपुर।
3. निजी सचिव निदेशक मा. /प्रा. शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. व. शासन उपसचिव, स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. श्री विनोद जैन वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी शिक्षा संकुल, जयपुर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शिक्षा (विधि) जयपुर को उनके पत्र दिनांक 06.04.2023 के क्रम में।

(अशोक कुमार मीणा)

RAS

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

